महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्ब./2022/1106-18 दिनांक: 19.04.2022

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध (राजकीय/सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित) महाविद्यालय,
महा.ज्यो.फु. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषयः- वर्ष 2022-2023 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-852/सत्तर-3-2022-08(21)/2018 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

1. उक्त पत्र के साथ संलग्न पर्यावरण वन एवं जलवायु अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-2/2019/881/81-5-2019-03/2019 दिनांक 21.11.2019 द्वारा प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 में क्रमशः 25 करोड़, 30 करोड़ तथा 35 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग हेतु वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 में क्रमशः 15 लाख, 18 लाख तथा 21 लाख वृक्षारोपण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020-21 में 15 लाख पौधों तथा 2021-22 में 18 लाख पौधों का रोपित किये जाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा चुका है तथा वर्ष 2022-23 में 21 लाख पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपदवार लक्ष्यों का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट-1 में किया गया है।

2. पौधों का रोपण ''वन महोत्सव (01 जुलाई से 07 जुलाई तक) कालावधि में किया जायेगा।

अतः संलग्न शासनादेशों में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 01 जुलाई से 07 जुलाई के मध्य ''वन महोत्सव'' के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में वृहद स्तर पर पौधों का रोपण कराये जाने एवं उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे शासन को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः- यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रभागीय वनअधिकारी (बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर)।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. मीडिया प्रभारी।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय परिसर।
8. डॉ पवन कुमार सिंह, प्रभारी, साफ-सफाई एवं बागवानी को इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय परिसर में उपरोक्तानुसार पौधों का रोपण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा)।
10. निजी सचिव-कुलपति, मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
11. वेबसाइट प्रभारी।
12. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।

कुलसचिव

AR-7975

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–852/सत्तर–3–2022–03(21)/2018

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 प्रयागराज।

2– कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2022

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

विषयः– वर्ष 2022–2023 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी , उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–पी–549/36–पी–23–ए, दिनांक 15 मार्च, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्र संख्या–995/सत्तर–3–2020–08(21)/2018, दिनांक 08.05.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग हेतु वर्ष 2020–2021, 2021–2022 तथा 2022–2023 में क्रमशः 15 लाख, 18 लाख तथा 21 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

3– उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021–2022 में भी समस्त विभागों का समावेश करते हुए जन सहभागिता से वर्ष 2020–21 की भाँति वृहद स्तर पर पौधों का रोपण 'वन महोत्सव (01 जुलाई से 07 जुलाई तक)' कालावधि में किया जायेगा।

4– पर्यावरण, वन एवं जनवायु अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–2/2019/881/81–5–2019–03/2019, दिनांक 21.11.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश में वर्ष 2020–21, 2021–2022 तथा 2022–2023 में क्रमशः 25 करोड़, 30 करोड तथा 35 करोड वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से उच्च शिक्षा विभाग हेतु वर्ष 2020–21, 2021–2022 तथा 2022–2023 में क्रमशः 15 लाख, 18 लाख तथा 21 लाख वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2020–21 में 15 लाख पौधों तथा 2021–22 में 18 लाख पौधों को रोपित किये जाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा चुका है तथा वर्ष 2022–2023 में 21 लाख पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जनपदवार लक्ष्यों का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट–1 में किया गया है।

5– उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वृक्षारोपण लक्ष्यों की निर्धारित समय सारणी के अनुसार शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु निम्न कार्यवाही की जाय :–

5.1 पौध रोपण हेतु समस्त राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, शासकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय अनानुदानित महाविद्यालयों के परिसर तथा नियंत्रणाधीन रिक्त भूमि का चयन कर लिया

1244

कुलसचिव

जाय तथा शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2019 के अनुसार वन विभाग द्वारा तैयार की जा रही माइक्रोप्ला में इसे सम्मिलित करा लिया जाय।

5.2 उपरोक्त प्रस्तर 5.1 'क' के अनुसार विभाग के लिए चिन्हित भूमि पर स्वयं के वृक्षारोपण हेतु धनराशि उपलब्ध होने की दशा में विभागीय भूमि पर स्वयं तथा धनराशि न उपलब्ध होने की दशा में शासनादेश दिनांक 21.11.2019 के अनुसार ग्राम पंचायत को मनरेगा श्रम बजट से वृक्षारोपण कार्य करने दिया जाय। इस प्रकार किया गया वृक्षारोपण उच्च शिक्षा विभाग के लक्ष्यों के सापेक्ष ही माना जायेगा।

5.3 वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शासनादेश दिनांक 21.11.2019 के प्रस्तर–15 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं समय सीमा के अन्तर्गत अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराने के साथ–साथ रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव का विशेष ध्यान रखा जाय, ताकि रोपण उपरान्त पौधो की जीवितता सुनिश्चित हो सके।

5.4 वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के मृदा एवं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अनुसार रोपित किए जाने वाली उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट–4 पर रखा गया है। रोपित की जाने वाली प्रजातियों के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि यथा सम्भव स्थानीय प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जाय।

5.5 वृक्षारोपण हेतु पौध वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशालाओं से प्राप्त की जाय।

5.6 वृक्षारोपण कार्य की प्रमाणिकता बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए जी0पी0एस0 के माध्यम से जियो टैगिंग तथा शहरी क्षेत्रों के समस्त स्थलों की जियो–टैगिंग की जाय।

5.7 शासनादेश दिनांक 21.11.2019 के प्रस्तर–28 के अनुसार वन एवं जीव विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में वृक्षारोपण से जुड़े विभागीय कार्मिकों की सहभागिता सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

5.8 रोपित किए गए पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु रोपण के पश्चात आगामी 02 वर्षों अथवा पौधों के वृक्ष रूप में स्थापित होने तक सुरक्षा एवं रख–रखाव किया जाय। इस हेतु जिला वृक्षारोपण समिति अपनी प्रत्येक मासिक बैठक में विभागवार लक्ष्यों, रोपित पौधों की संख्या व रोपित पौधों की सफलता का नियमित अनुश्रवण अवश्य किया जाय।

5.9 विद्यार्थियों की सकिय सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु निम्न कार्यवाही की जाय :–

- वृक्षारोपण कार्य में पौध रोपण हेतु सकिय सहयोग लिया जाय।
- प्रत्येक विद्यार्थी जो वृक्ष लगायेंगे, इसकी देख–रेख भी करेगें तथा पौधों में पानी देना व पौधो की पहचान उस विद्यार्थी के नाम से करायी जाय।
- विद्यालय के प्राचार्य और अध्यापक विद्यार्थियों को इस दिशा में सुनिश्चित, अनुशासित एव उनको वृक्षारोपण कार्यों के प्रति प्रेरणा देते रहें।

5.10 वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष की भाँति माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में 01 जुलाई से 07 जुलाई तक मनाया जाय तथा रोपण लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिलावार/विभागवार/ग्राम पंचायतवार/शहरी निकायवार तैयार की जा रही कार्ययोजना में विभागीय कार्ययोजना को सम्मिलित करवाये तथा सुनिश्चित करें कि वृक्षारोपण का लक्ष्य 01 जुलाई से 07 जुलाई तक शत–प्रतिशत प्राप्त हो सके।

उपरोक्तानुसार मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आवंटित विभागीय वृक्षारोपण लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित की जाय। उक्त लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज को इस सम्बन्ध में सतत अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनके द्वारा अद्यावधिक सूचनायें समय–समय पर संकलित कराकर शासन की अपेक्षानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संख्या–852 (1)/सत्तर–3–2020, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा, उ0प्र0।
7. श्री मुकेश कुमार, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

Nikhil 6.0

<u>परिशिष्ट–1</u>

वर्ष 2022–23 में उच्च शिक्षा विभाग का वृक्षारोपण का लक्ष्य

क0सं0	जनपद का नाम	पौध संख्या
1.	मेरठ	28000
2.	बागपत	22540
3.	गाजियाबाद	19880
4.	हापुड़	20580
5.	गौतमबुद्वनगर	24780
6.	बुलन्दशहर	26740
	मेरठ मण्डल	**142520**
7.	सहारनपुर	25760
8.	मुजफ्फरनगर	30240
9.	शामली	28560
	सहारनपुर मण्डल	**84560**
10.	आगरा	35700
11.	मैनपुरी	28420
12.	मथुरा	33040
13.	फिरोजाबाद	22680
	आगरा मण्डल	**119840**
14.	अलीगढ़	29680
15.	हाथरस	22540
16.	एटा	24780
17.	कासगंज(कांशीरामनगर)	22540
	अलीगढ़ मण्डल	**99540**
18.	मुरादाबाद	18060
19.	संभल	27160
20.	रामपुर	22680
21.	अमरोहा	15120
22.	बिजनौर	28560
	मुरादाबाद मण्डल	**111580**
23.	बरेली	26740
24.	बदायूँ	31080
25.	पीलीभीत	35280
26.	शाहजहाँपुर	29680
	बरेली मण्डल	**122780**

क0सं0	जनपद का नाम	पौध संख्या
27.	प्रयागराज	27780
28.	कौशम्बी	19040
29.	फतेहपुर	35280
30.	प्रतापगढ़	23680
प्रयागराज मण्डल		**105560**
31.	वाराणसी	12180
32.	चन्दौली	20300
33.	गाजीपुर	21840
34.	जौनपुर	21420
वाराणसी मण्डल		**75740**
35.	संतरविदासनगर	11340
36.	मिर्जापुर	37940
37.	सोनभद्र	60200
मिर्जापुर मण्डल		**109480**
38.	गोरखपुर	19460
39.	महाराजगंज	22820
40.	देवरिया	16800
41.	पडरौना(कुशीनगर)	20020
गोरखपुर मण्डल		**79100**
42.	बस्ती	16240
43.	संतकबीरनगर	13160
44.	सिद्धार्थनगर	19880
बस्ती मण्डल		**49280**
45.	आजमगढ़	22260
46.	मऊ	15820
47.	बलिया	20300
आजमगढ़ मण्डल		**58380**
48.	लखनऊ	24500
49.	रायबरेली	29540
50.	हरदोई	38220
51.	उन्नाव	31920
52.	सीतापुर	29260
53.	लखीमपुर–खीरी	46620
लखनऊ मण्डल		**200060**
54.	अयोध्या	21840
55.	अम्बेडकर नगर	18620

56.	सुल्तानपुर	19040
57.	बाराबंकी	23380
58.	अमेठी	18480
अयोध्या मण्डल		**101360**
59.	गोण्डा	29120
60.	बलरामपुर	28140
61.	श्रावस्ती	24780
62.	बहराइच	31080
देवीपाटन मण्डल		**113120**
63.	कानपुर नगर	26180
64.	कानपुर देहात	31640
65.	फर्रूखाबाद	23100
66.	कन्नौज	23380
67.	इटावा	25760
68.	औरैया	21840
कानपुर मण्डल		**151900**
69.	झांसी	53900
70.	ललितपुर	70000
71.	जालौन	45780
झांसी मण्डल		**169680**
72.	हमीरपुर	52640
73.	महोबा	54880
74.	बांदा	48020
75.	चित्रकुट	49900
चित्रकुट मण्डल		**205520**
महायोग		**21,00,000**

संख्या-852 / उच्च0-3-2022

संख्या-पी-549 /36-पी-23-

प्रेषक,

मुकेश कुमार,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
गृह विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायतीराज/राजस्व/
आवास/औद्योगिक विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/
जलशक्ति/रेशम विभाग/कृषि/पशुपालन/सहकारिता/
उद्योग/ऊर्जा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/
उच्च शिक्षा/श्रम विभाग/स्वास्थ एवं चिकित्सा शिक्षा/परिवहन/रेलवे/
रक्षा एवं उद्यान विभाग।
2-समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

34/PSHE/22
सचिव/विशेष सचिव (HE)

28-03-2022
(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक: 15 मार्च, 2022

विषयः-वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ वृक्षारोपण के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 35.00 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-881/81-5-2019-03/2019, दिनांक 21-11-2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें से 12.60 करोड़ पौधों का रोपण वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा उपलब्ध विभागीय बजट से कराया जायेगा एवं 22.40 करोड़ पौधों का रोपण राज्य सरकार के 23 अन्य राजकीय विभागों द्वारा जनसहभागिता, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जनपद स्तरीय विभागों के मुख्यालय, विकास खण्डों, विद्यार्थियों, कृषकों, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा एन0एस0एस0 के कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त कर किया जायेगा। उक्त के क्रम में अन्य विभागों को आवंटित 22.40 करोड़ वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे, जिससे कि अन्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। उक्त पत्र की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु आप अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।

167/VSM/HE/22
D.S./SO-3

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

29/3
(मनोज कुमार)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

भवदीय
15/3/22
(मुकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-पी-549 /36-पी-23ए, दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/22
(मुकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रो0 अधि0
30/3/22

D:\BrijesH\vraksharopan.doc

संख्या–पी–549 /36–पी–23ए, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री मुकेश कुमार, मिशन निदेशक–वृक्षारोपण जन आन्दोलन–2022/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।

2– श्री विष्णु सिंह, तकनीकी निदेशक–वृक्षारोपण जन आन्दोलन–2022/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।

3– श्रीमती ईवा शर्मा, सह मिशन निदेशक–वृक्षारोपण जन आन्दोलन–2022/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पौधशाला प्रबन्धन, उ0प्र0, लखनऊ।

4– श्री दीपक कुमार, सहायक मिशन निदेशक–वृक्षारोपण जन आन्दोलन–2022/मुंख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबन्ध, उ0प्र0, लखनऊ।

5– प्रभारी, कमाण्ड सेन्टर, वन मुख्यालय, नरही, लखनऊ।

15/3/22

(मुकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महत्वपूर्ण

संख्या– 881/81–5–2019–03/2019

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ०प्र०।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–5 लखनऊ: दिनांकः 21 नवम्बर, 2019

विषयः– वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति–2017 के प्रस्तर–2, 4 में हरित आवरण में वृद्धि हेतु जनान्दोलन के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों, समाज के अल्प आय वाले व्यक्तियों एवं वनों के समीप रहने वाले समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से वानिकी को जन आन्दोलन बनाये जाने का प्राविधान है।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित अध्यावधिक द्विवर्षीय वन स्थिति रिपोर्ट–2017 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है, जो वर्ष 2015 के सापेक्ष वृक्षावरण तथा वनावरण में समेकित रूप से कुल 676 वर्ग0 किमी0 (वनावरण में 278 वर्ग कि0मी0 एवं वृक्षावरण में 398 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल वृद्धि) की वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सफल वृक्षारोपण गतिविधियां तथा वन संरक्षण हेतु किये गये प्रयास हैं।

2– वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 में भी समस्त विभागों का समावेश करते हुये जन सहभागिता से वर्ष 2019–20 की भांति बृहद स्तर पर पौधों का रोपण 'वन महोत्सव (01 जुलाई से 07 जुलाई तक)' कालावधि में किया जाय।

3– पौध रोपण का कार्य समयबद्ध होने के कारण पूर्व से ही तैयारी प्रारम्भ करने के दृष्टिगत वर्ष 2020–21, 2021–22 तथा 2022–23 हेतु क्रमशः 25.00 करोड़, 30.00

करोड़ तथा 35.00 करोड़ पौधों के रोपण का निम्नानुसार विभागवार लक्ष्य निर्धारित किया जाता है:–

(पौध संख्या लाख में)

क्र0सं0	विभाग का नाम	2020–21	2021–22	2022–23
1	2	3	4	5
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	900	1080	1260
	(i) वन एवं वन्यजीव विभाग	100	120	140
	(ii) पर्यावरण विभाग	880	1056	1232
2	ग्राम्य विकास विभाग	168	201.6	235.2
3	कृषि विभाग	110.80	132.96	155.12
4	उद्यान विभाग	100	120	140
5	राजस्व विभाग	100	120	140
6	पंचायती राज विभाग	25	30	35
7	नगर विकास विभाग	16	19.2	22.4
8	रेल विभाग	15	18	21
9	उच्च शिक्षा	12.20	14.64	17.08
10	रेशम विभाग	8	9.6	11.2
11	लोक निर्माण विभाग	8	9.6	11.2
12	जल शक्ति विभाग	8	9.6	11.2
13	स्वास्थ्य विभाग	6	7.2	8.4
14	उद्योग विभाग	5	6	7
15	पशुपालन विभाग	5	6	7
16	आवास विकास विभाग	5	6	7
17	गृह विभाग	5	6	7
18	रक्षा विभाग	4	4.8	5.6
19	प्राविधिक शिक्षा	4	4.8	5.6
20	सहकारिता विभाग	4	4.8	5.6
21	विद्युत विभाग	3	3.6	4.2
22	औद्योगिक विकास विभाग	2	2.4	2.8
23	माध्यमिक शिक्षा	2	2.4	2.8
24	बेसिक शिक्षा	2	2.4	2.8
25	श्रम विभाग	2	2.4	2.8
26	परिवहन विभाग	2	2.4	2.8
	कुल:–	2500	3000	3500

f:\ro file 2019\ro files 2019\plantation 2019-20\plantation 2020 -21.docx

4– विभागवार एवं जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण– प्रदेश में वर्षवार रोपण हेतु विभाग/जनपदवार लक्ष्य परिशिष्ट–1, परिशिष्ट–2 तथा परिशिष्ट–3 के रूप में संलग्न है।

5– वन महोत्सव– प्रत्येक वर्ष की भांति वन महोत्सव माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में 01 जुलाई से 07 जुलाई तक मनाया जाय तथा रोपण लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिलावार/विभागवार/ग्राम पंचायतवार/शहरी निकायवार इस प्रकार कार्ययोजना तैयार की जाय कि वृक्षारोपण का लक्ष्य 01 जुलाई से 07 जुलाई तक शत प्रतिशत प्राप्त हो सके।

6– वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार रणनीति निर्धारित की जाती है:–

6.1 वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन की सामान्य नीति–

(क)– पौध रोपण हेतु वन भूमि, सामुदायिक भूमि व अन्य राजकीय भूमि की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत कृषि एवं अन्य निजी भूमि पर भी कृषि वानिकी मॉडल तथा कृषकों की इच्छानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रजाति का रोपण कराया जाय।

(ख)– जनपदों में मुख्य नदियों एवं पोषक जलधाराओं के पुनरोद्धार हेतु उनके किनारे वृक्षारोपण तथा अन्य भूमि संरक्षण कार्य कराया जाय।

(ग)– नदियों के पुनरोद्धार हेतु पोषक वेटलैण्ड के किनारे भी वृक्षारोपण कार्य कराया जाय।

(घ)– प्रदेश में ग्राम सभा की चारागाह भूमि एवं जनपद में स्थापित गौवंश सेल्टर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर चारा प्रजातियों का रोपण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

(च)– जनपद के महत्वपूर्ण शहरों वायु प्रदूषण को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु घने वन/मियावाकी वन स्थापित किये जाय।

6.2 ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीतिः

(क) ग्राम पंचायतवार माइक्रोप्लानिंग: प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण अभियान की मूल इकाई ग्राम पंचायत निश्चित की गयी है।

- "सबकी योजना तथा सबका विकास" अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर के मध्य निरूपित किये जाने वाले ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) में प्रस्तावित वृक्षारोपण को सम्मिलित कराया जाय।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत का वर्ष 2018–19 में एक माइक्रोप्लान (सूक्ष्म नियोजन) विकसित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019–20 में वृक्षारोपण कार्यक्रम की रणनीति इंगित थी।
- इस माइकोप्लान को वर्ष 2019–20 में किये गये वास्तविक वृक्षारोपण के आधार पर अद्यावधिक कर लिया जाय तथा ग्राम पंचायतवार वर्षवार रोपित पौधों का विवरण ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण पंजिका का संधारण किया जाय **(प्रोफार्मा संलग्न)**।
- इस माइकोप्लान के अन्तर्गत रोपित पौधों के रख–रखाव, अनुरक्षण, सिंचाई, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु तार–बाड़/कैटिल प्रूफ ट्रेन्चिंग/जैविक घेर बाड़ आदि हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की इच्छानुसार वर्ष 2020–21, 2021–2022 तथा 2022–2023 के वृक्षारोपण हेतु माइकोप्लानिंग में प्रजातियों को चिन्हित करते हुये पौधशालाओं में पौध उगाने तथा वृक्षारोपण की अग्रिम तैयारी की जाय।
- वृक्षारोपण कार्य के तकनीकी स्वरूप को देखते हुये सम्बन्धित वन रक्षक को ग्राम पंचायत में माइकोप्लानिंग हेतु विशिष्ट आमंत्री के रूप में नामित किया जाता है।
- माइक्रोप्लानिंग में महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनकी इच्छानुसार भी प्रजातियों को उगाया जाय।
- ग्राम पंचायत को नोडल इकाई मानते हुये मनरेगा गाईडलाइन्स के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया जाय।

(ख) **<u>'जैव विविधता प्रबंध, नियोजन एवं विकास समिति'</u> एवं <u>'वृक्ष अभिभावक' (Tree Guardian)</u>:** ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जैव विविधता प्रबंध, नियोजन एवं विकास समिति द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागों व ग्रामीणों के मध्य संवाद स्थापित कर रोपण कार्य पूरा कराने व समस्त सूचनाओं के आदान–प्रदान के लिये एक 'वृक्ष अभिभावक' (Tree Guardian) मनोनीत किया जायेगा। इन्हें भी मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप भुगतान किया जायेगा।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई ग्राम पंचायतवार माईक्रोप्लान की वन विभाग से भिन्न विभागों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्नवत श्रेणियां बनायी गयी हैं–

(i) श्रेणी 1– माइक्रोप्लान में चिन्हित ऐसे कृषक/व्यक्ति जिनके द्वारा वृक्षारोपण

(अ) स्वयं के संसाधन अथवा

(ब) औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों से किया जायेगा

वन विभाग द्वारा ऐसे वृक्षारोपण के संबंध में केवल अभिलेखीकरण (Documentation) का कार्य किया जायेगा।

(ii) श्रेणी 2– माइक्रोप्लान में चिन्हित ऐसे कृषक/व्यक्ति, जिन्हें उनकी इच्छा की प्रजाति के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनका रोपण उनकी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा: मांइकोप्लान में चिन्हित कृषक/व्यक्ति जो मनरेगा योजना के अन्तर्गत मनरेगा अधिनियम की अनुसूची–1 के पैरा–5 के अन्तर्गत उल्लिखित सूची में सम्मिलित है, उनकी इच्छा की प्रजाति के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें तथा उनका रोपण उनकी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा। इस श्रेणी के वृक्षारोपण से ग्राम्य विकास विभाग, ग्राम पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग तथा श्रम विभाग के लक्ष्य सामान्यतः समायोजित होंगे।

(iii) श्रेणी 3– माइक्रोप्लान में चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों की सामुदायिक भूमि तथा अन्य राजकीय विभागों की भूमि पर वृक्षारोपण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा तथा पौध वन विभाग द्वारा आपूर्ति की जायेगी: इस श्रेणी के वृक्षारोपण के सापेक्ष सामान्यतः ऐसे विभाग यथा लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग तथा अन्य विभागों जिनके अपने परिसर हों, उनके द्वारा वृक्षारोपण सम्बन्धित लक्ष्य समायोजित होंगे।

(iv) <u>श्रेणी 4– (अ) वन विभाग द्वारा वन भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा:</u> इस श्रेणी के वृक्षारोपण में वन विभाग का लक्ष्य समायोजित होगा।

<u>(ब) उद्यान विभाग एवं रेशम विभाग द्वारा उनके द्वारा चिन्हित भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा:</u> इस श्रेणी के वृक्षारोपण में उद्यान विभाग एवं रेशम विभाग के लक्ष्य समायोजित होंगे।

(घ) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्यमार्ग एवं यूपीड़ा द्वारा निर्मित राजमार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगाये जायें। लोक निर्माण विभाग राजमार्गो के निर्माण की परियोजना में वृक्षारोपण का अवयव (component) अवश्य सम्मिलित करें।

(च) प्रदेश में बिजनौर से बलिया तक गंगा नदी के दोनों तटों पर (जहॉ बाढ़ से नुकसान न हो) बड़े–बड़े तालाब तैयार कर उसके किनारे पौधरोपण की योजना मनरेगा अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत तैयार की जाय। पौधारोपण में पीपल, बरगद, पाकड़, बांस, अर्जुन, जामुन, खैर आदि प्रजातियों को विशेष रूप से प्राथमिकता दी जाये।

6.3 <u>शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीति:</u>

- प्रत्येक शहरी निकाय का वर्ष 2018–19 में एक माइक्रोप्लान (सूक्ष्म नियोजन) विकसित किया गया था, जिसमें वर्ष 2019–20 में वृक्षारोपण कार्यक्रम की रणनीति इंगित थी।
- इस माइकोप्लान को वर्ष 2019–20 में किये गये वास्तविक वृक्षारोपण के आधार पर अद्यावधिक कर लिया जाय तथा शहरी निकायवार वर्षवार रोपित पौधों का विवरण वृक्षारोपण पंजिका में संधारित किया जाय (प्रोफार्मा संलग्न)।
- इस माइकोप्लान के अन्तर्गत रोपित पौधों के रख–रखाव, अनुरक्षण, सिंचाई, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु सी0पी0टी0/तार–बाड़/ट्री गार्ड/ब्रिक गार्ड आदि हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

- प्रत्येक शहरी निकाय में वर्ष 2020–21 के वृक्षारोपण हेतु माइक्रोप्लानिंग में प्रजातियों को चिन्हित करते हुये पौधशालाओं में पौध उगाने तथा वृक्षारोपण की अग्रिम तैयारी की जाय।
- वृक्षारोपण कार्य के तकनीकी स्वरूप को देखते हुये मियावाकी पद्धति को अपनाया जाय एवं सम्बन्धित वन रक्षक को माइक्रोप्लानिंग हेतु विशिष्ट आमंत्री के रूप में नामित किया जाय।
- माइक्रोप्लानिंग में महिलाओं को भी विशेष रूप से आमंत्रित कर उनकी इच्छानुसार भी प्रजातियों को उगाया जाय।
- शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतवार माईक्रोप्लान से आवास विकास, नगर विकास, उद्योग, औद्योगिक विकास, रक्षा, रेलवे एवं परिवहन विभाग के लक्ष्य समायोजित होंगे।
- शहरों में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि के साथ–साथ सड़कों के किनारे "एक मार्ग–एक प्रजाति" के आधार पर वृक्षारोपण कराने की व्यवस्था की जाय।
- नगर विकास विभाग द्वारा "स्मार्ट सिटी" की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा सभी बड़े शहरों का चयन कर Lutyens Delhi की तरह "एक मार्ग–एक प्रजाति" के आधार पर फलदार/शोभाकार पौधों का रोपण कराया जाय।

7– <u>पौध रोपण की रणनीति–</u>

वन महोत्सव कालावधि में वृहद स्तर पर पौधों के रोपण, सही व्यक्ति को सही स्थान पर पौधों की आपूर्ति, वृक्षारोपण कार्य का अनुश्रवण, आदि कार्यों को निम्नानुसार संचालित कराया जाय :–

- पौध को मतपत्र के रूप में आगणित किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत को पोलिंग बूथ के समतुल्य माना जायेगा।
- ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव एवं ग्राम विकास अधिकारी में से जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को ग्राम वृक्षारोपण कोआर्डिनेटर के रूप में रखते हुए जनपद को सेक्टर व जोन में विभाजन कर कार्यवाही की जाय। इस प्रक्रिया के निर्बाध (Smooth) क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी तथा खण्ड

विकास अधिकारी द्वारा वन महोत्सव कालावधि में होने वाले वृक्षारोपण का कार्य निम्नानुसार किया जाय:–

- वृक्षारोपण कार्य वन महोत्सव अवधि दिनांक 01 जुलाई से 07 जुलाई तक किया जाना है।
- जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा प्रत्येक स्थलों का चिन्हांकन किया जायेगा, जिसका विवरण पी0एम0एस0 पर अपलोड किया जाय, ताकि वृक्षारोपण कार्य का अनुश्रवण किया जा सके।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, वृक्ष अभिभावक, पंचायत सचिव/ग्राम विकास अधिकारी तथा जैवविविधता प्रबन्धन समिति आदि के मध्य समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराया जाय।
- ब्लाक स्तर पर सेक्टर वृक्षारोपण समन्वयक (कोआर्डिनेटर) के रूप में वन विभाग के वनविद/वनरक्षक तथा अन्य विभागों के अधिकारी होंगे, जिनके द्वारा समय–समय पर वृक्षारोपण गतिविधियों पर आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता प्रदान की जाय।
- न्याय पंचायत स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा सेक्टर कोआर्डीनेटर नामित किये जाये, जिनके द्वारा कार्य क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य/गड्ढा खुदान, रोपण स्थल की जियोटैगिंग, पौधशाला से ग्राम पंचायत में पौध पहुंचाने, पौध वितरण व पौध रोपित किये जाने की पुष्टि/सत्यापन किया जाय। इसके अतिरिक्त वन महोत्सव कालावधि में पौधारोपण की संकलित सूचना ग्राम पंचायत स्तर से खण्ड विकास अधिकारी को एक–एक घण्टे के अन्तराल पर उपलब्ध करायेंगे।
- तहसील स्तर पर जोनल वृक्षारोपण समन्वयक (कोआर्डिनेटर) के रूप में वन विभाग के क्षेत्रीय वनाधिकारी, पौधों की उपलब्धता, तकनीकी जानकारी आदि सुनिश्चित करायेंगे।
- तहसील स्तर पर किसी भी आकस्मिक कठिनाई के त्वरित व सामयिक निस्तारण हेतु सम्बंधित एस0डी0एम0 व वन विभाग के सहायक वन संरक्षक की संयुक्त टीम जोनल कोआर्डिनेटर के रूप में कार्य करेगी। जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर यथा आवश्यकता परिवर्तन कर सकते हैं।
- विगत वर्षो में रोपण की सफलता का स्तर मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु वन विभाग का शासनादेश सं0–554/चौदह–5–2003–(5)(10)/93, दिनांक–10.07.2003 के अनुरूप बीटिंग अप (मृत/कमजोर

पौध के स्थान पर नवीन पौध का रोपण) की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाये।

- पौधरोपण/वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

8– पौधों के रोपण की सूचना की वन विभाग द्वारा प्राप्ति/संकलन के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण–

वन महोत्सव कालावधि में वृहद स्तर पर किये जाने वाले पौधारोपण की सूचना के प्रदेश स्तर पर त्वरित, त्रुटि रहित संकलन व प्रदर्शन हेतु आवश्यक है कि वृक्षारोपण स्थल से जिला स्तर पर स्थापित वन विभाग के प्रभागीय नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) तक तथा वहाँ से प्रदेश के वन मुख्यालय स्थित कमाण्ड सेन्टर तक निर्बाध रूप से त्रुटि रहित सूचनाएं समय से प्राप्त हो। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रदेश स्तर पर वृक्षारोपण हेतु नोडल विभाग है। अन्य राजकीय विभागों द्वारा जनपद स्तर पर नोडल विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रतिनिधि प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक के स्तर एवं वन मुख्यालय तक पौध रोपण की सूचना की प्राप्ति हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है–

- अन्य विभागों की ग्राम पंचायतवार/नगर निकायवार रोपित की गयी पौध की स्थलवार संकलित सूचना वृक्षारोपण प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षर से जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को प्रतिदिन सायं 6 बजे तक प्रेषित की जायेगी।
- जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा जनपद की संकलित सूचना तत्काल मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त सूचना को अपने हस्ताक्षर से जनपद में प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक के माध्यम से जनपद में स्थापित नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) को सांय 8 बजे तक प्रेषित की जायेगी।
- जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा उक्त सूचना को वन विभाग के पी०एम०एस० पर तत्काल अपलोड करायी जायेगी, जिससे कि प्रदेश स्तर पर हो रहे पौध रोपण की प्रगति मुख्यालय (लखनऊ) स्थित कमाण्ड सेन्टर पर उपलब्ध हो सके।

- प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त संकलित सूचना संरक्षित रखते हुए जिलाधिकारी को भी अवगत कराते रहेंगे।

9— **पौधों की उपलब्धता के लिए रणनीति—**

प्रदेश में वर्ष 2020—21, 2021—22 तथा 2022—23 में रोपित की जाने वाली पौध के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में पौध तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि प्रजाति विशेष के अनुसार एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष के पौध की उपलब्धता रहे। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाय:—

(1) निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु जिला वृक्षारोपण समिति बैठक करके रणनीति तैयार करेगी।

(2) वन विभाग द्वारा आगामी वर्षो में रोपण हेतु उपयुक्त प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पौधशालाओ (नर्सरी) के यथा आवश्यकता स्थापना एवं उच्चीकरण किया जाय, जिससे कि बृहद् स्तर पर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(3) पौध उगान हेतु आधारभूत क्षमता तथा दक्ष मानव संसाधन वाले विभागों यथा उद्यान विभाग, रेशम विभाग, रक्षा विभाग, रेलवे विभाग, नगर विकास विभाग एवं आवास विकास विभाग द्वारा वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पौध तैयार करने की कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार की गई पौध की सूचना वन विभाग द्वारा विकसित पोर्टल Nursery Management System (N.M.S.) पर अपलोड की जाय।

(4) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2021—22 एवं आगामी वर्षो में रोपण हेतु अपने वित्तीय संसाधनों से पौध तैयार की जायेगी। इस हेतु वर्ष 2019—20 में न्याय पंचायत/विकास खण्ड स्तर पर पौधशालाओं की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाये, ताकि आगामी वर्षों में लक्ष्यों के सापेक्ष पौध की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(5) निजी पौधशालाओं से पौधों का क्रय तभी किया जायेगा जब प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग को यह प्रमाण—पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो कि उनके नियंत्रणाधीन विभागीय पौधशालाओं में कोई पौध उपलब्ध नहीं है। यदि निजी पौधशाला से पौध कय की जाती है, तो वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन किया जाय।

निजी पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों का सर्वेक्षण वन विभाग द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक जनपद में उपलब्ध पौधों की पौधशालावार एवं प्रजातिवार सूचना संकलित करते हुए जिला वृक्षारोपण समिति को प्रस्तुत की जायेगी तथा उसे NMS पर अंकित किया जाय।

(6) पौधशालाओं से पौधों के वितरण हेतु **"डायरेक्ट सैपलिंग ट्रांसफर"** **(डी0एस0टी0)** साफ्टवेयर के माध्यम से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा **क्यू0आर0 कोडेड इंडेंट** जारी किये जायेगें, जिनके माध्यम से पौधों का वितरण किया जाय।

10– प्रत्येक जनपद में पंचवटी, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, हरी शंकरी रोपण तथा शहीदों के नाम पर वाटिका की स्थापना की जाय। नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अपने क्षेत्र के अन्तर्गत विकसित किये गये/किये जा रहे पार्कों में नक्षत्र वाटिका/नवग्रह वाटिका/पंचवटी तैयार करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय।

11– रोपित किये गये पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु रोपण के पश्चात आगामी 02 वर्षों अथवा पौधों के वृक्ष रूप में स्थापित होने तक सुरक्षा एवं रख–रखाव किया जाय। इस हेतु जिला वृक्षारोपण समिति अपनी प्रत्येक मासिक बैठक में विभागवार लक्ष्यों, रोपित पौधों की संख्या व रोपित पौधों की सफलता का नियमित अनुश्रवण अवश्य किया जाय।

कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1266/31–2019–65/2014 टी0सी0–1, दिनांक 08.08.2019 के अनुक्रम में जनपद में वन विभाग, अन्य विभाग जिसका सबसे अधिक लक्ष्य हो तथा अपने विभाग (यदि लक्ष्य आवंटित हो) द्वारा कराए जा रहे वृक्षारोपण की एक अथवा दो साइटों का भौतिक सत्यापन करेंगें।

12– **<u>वृक्षारोपण हेतु वित्तीय आवश्यकता :</u>**

(क) ग्रामीण क्षेत्र :

- श्रेणी 1– कोई वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।
- श्रेणी 2– वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त विचार–विमर्श के उपरान्त मनरेगा श्रम बजट में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त क्रिया–कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि हेतु प्राविधान कराया जाय।

- श्रेणी 3– वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त विचार–विमर्श के उपरान्त मनरेगा श्रम बजट में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त किया–कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि हेतु प्राविधान कराया जाय।
- श्रेणी 4 – वन विभाग तथा उद्यान व रेशम विभाग द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त किया–कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि हेतु प्राविधान कराया जाय।

(ख) **शहरी क्षेत्र:**

सम्बन्धित विभागों द्वारा वृक्षारोपण अपने वित्तीय संसाधनों से वृक्षारोपण सम्बन्धित समस्त किया–कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि हेतु प्राविधान से कराया जाय।

13– **जिला वृक्षारोपण समिति**– जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति गठित हैं, जिसके संयोजक सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी हैं तथा सभी कार्यदायी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य हैं। वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करने हेतु समिति का मुख्य दायित्व समन्वय, नियोजन एवं नियमित अनुश्रवण करना है। जिला वृक्षारोपण समिति जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी तथा जिले के आवंटित लक्ष्यों को शत–प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समय से रणनीति तैयार कर वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। जिला वृक्षारोपण समिति समस्त विभागों के निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर समीक्षा बैठक कर वृक्षारोपण से सम्बन्धित तैयारियों एवं प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

14– मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

15– **वृक्षारोपण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समय सारणी–**

आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षा की जाती है कि निम्न समय–सारिणी के अनुसार समस्त कार्यदायी विभागों को सम्मिलित करते हुए जनपद स्तर पर गठित जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कराकर आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक कार्यदायी विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर ली जाय। इसमें वृक्षारोपण स्थल एवं स्थलवार रोपित किये जाने वाले पौधो का विवरण, पौधों की प्राप्ति के लिए स्रोत (पौधशाला चिन्हांकन) तथा वृक्षारोपण कार्यकम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम आदि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित कर लिया जाय।

लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित समय–सारणी निर्धारित की जा रही है (01 अक्टूबर से अगले वर्ष 30 सितम्बर तक)–

(i)	जिला वृक्षारोपण समिति की नियमित बैठक का आयोजन।	प्रत्येक माह में पाक्षिक रूप से
(ii)	नर्सरी एवं वृक्षारोपण तैयारी की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर कण्ट्रोल रूम की स्थापना।	10 नवम्बर
	पौध तैयारी	
(i)	नई पौधशालाओं की स्थापना हेतु स्थल चयन व भूमि प्राप्त करना।	30 अक्टूबर
	पौध तैयारी हेतु बीज की व्यवस्था।	30 अक्टूबर
(ii)	पौध तैयारी हेतु मनरेगा से धनराशि प्राप्त करने हेतु डी0आर0डी0ए0 को योजना प्रस्तुत करना।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
(iii)	डी0आर0डी0ए0 द्वारा पौधशाला परियोजना की स्वीकृति एवं बजट अवमुक्त करना।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
(iv)	नर्सरी की स्थापना एवं अंकुरण क्यारियों में बीज बुआन।	15 नवम्बर
(v)	थैला भरान, थैलों में बीज बुआन/प्रीकिंग कार्य।	30 नवम्बर
(vi)	निराई, गुड़ाई, सिंचाई, ग्रेडिंग व स्थान परिवर्तन।	समय–समय पर तथा आवश्यक रोपण तक।
(vii)	निजी पौधशालाओं का पंजीकरण।	31 दिसम्बर तक
	अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण	
(i)	माइक्रोप्लानिंग द्वारा वृक्षारोपण स्थलों का चिन्हीकरण, जीओ टैगिंग, रोपित की जाने वाली प्रजातियों एवं उनकी संख्या का निर्धारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) में वृक्षारोपण हेतु समावेश कराया जाना।	02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर
(ii)	अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण हेतु मनरेगा से धनराशि प्राप्त करने हेतु डी0आर0डी0ए0 को योजना प्रस्तुत करना।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
(iii)	डी0आर0डी0ए0 द्वारा अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण परियोजना की स्वीकृति एवं बजट अवमुक्त।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
(iv)	अग्रिम मृदा कार्य (गड्ढा खुदान एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित) (Manual, Augur and JCB Machine)	28 फरवरी
(v)	सिंचाई हेतु व्यवस्था–बोरिंग आदि।	15 मार्च
(vi)	स्थलवार वृक्षारोपण एक्शन प्लान का निरूपण ।	31 मई
(vii)	गड्ढा भरान कार्य (कीटनाशक एवं खाद का उपयोग करें)।	31 मई
(viii)	वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था – नर्सरी चिन्हांकन।	31 मई
(ix)	नर्सरियों से वन/अन्य विभाग के वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु पौध आपूर्ति प्लान तैयार करना।	31 मई

(x)	पौध ढुलान हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।	15 जून
(xi)	जनपद की स्वयं सेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर वृक्षारोपण में अधिकतम जनसहभागिता।	15 जून
(xiii)	प्रत्येक जनपद हेतु गणमान्य व्यक्ति यथा मा0 मंत्री/सांसद/विधायक/जन प्रतिनिधि अथवा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाना।	15 जून
(xiv)	प्रत्येक रोपण स्थल पर Smart phone से latitude and longitude सहित फोटोग्राफी की व्यवस्था करना ।	15 जून
(xv)	पौधशालाओं से रोपण स्थल तक पौध का ढुलान	25 जून
(xvi)	वृक्षारोपण से सम्बन्धित फोटोग्राफस एवं अन्य अभिलेख प्रेषित करना तथा Best Performance with Innovative ideas को इंगित करना।	31 अगस्त
(xvii)	वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण एवं जीवितता का सत्यापन।	30 सितम्बर

16— **वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन**—प्रजातियों का चयन प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मृदा एवं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अनुसार रोपित किये जाने वाली उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का विवरण **परिशिष्ट—4** पर रखा गया है। रोपित की जाने वाली प्रजातियों के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यथासंभव स्थानीय प्रजातियों (Indigenous species) के रोपण को प्राथमिकता दी जाय। **परिशिष्ट—4** में उल्लिखित प्रजातियों के अतिरिक्त भी यदि मृदा/जलवायु अन्य प्रजातियों के लिए उपयुक्त हो, तो उनका भी रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण में पीपल, नीम, इमली, जामुन, अर्जुन, पाकड़, बरगद, देशी आम आदि प्रजातियों के पौधों को प्रमुखता से शामिल किया जाय।

पारिस्थितिकीय तंत्र विकास हेतु विभिन्न नयी प्रजातियों यथा चन्दन, कालाशीशम, महगौनी, ताड़, खजूर, गम्हार आदि के पौधों के रोपण को भी प्रोत्साहित किया जाय।

17— **वृक्षारोपण हेतु अर्न्तविभागीय समन्वय के लिये समीक्षा की प्रक्रिया:** इस कार्य हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:—

15.1 जिलाधिकारी द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर वृक्षारोपण सम्पन्न कराने हेतु जिला वृक्षारोपण समिति की पाक्षिक बैठक का आयोजन किया जाय।

15.2 मण्डलायुक्त द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण मासिक रूप से किया जाय।

15.3 प्रमुख सचिव (वन व पर्यावरण) के नेतृत्व में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें समस्त कार्यदायी विभागों के प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की उपस्थिति में विभागवार प्रगति की समीक्षा की जाय।

15.4 मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में समस्त जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों की आयोजित पाक्षिक/साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग में वृक्षारोपण की विभागवार सघन प्रगति समीक्षा की जाय।

18— <u>जियो—टैगिंग:</u> वृक्षारोपण कार्य की प्रमाणिकता बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुये जी0पी0एस0 के माध्यम से जियो—टैगिंग तथा शहरी क्षेत्रों के समस्त स्थलों की जियो—टैगिंग की जाय।

19— <u>अनुश्रवण</u>

जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षारोपण के रख—रखाव पर विशेष बल दिया जाय। इस हेतु जिलाधिकारी अपने मासिक बैठक में विभागवार लक्ष्यों, रोपित पौधों की संख्या व इसकी सफलता की नियमित अनुश्रवण अवश्य करें। रोपित किये जाने वाले वृक्षारोपण की ग्रेडिंग हेतु वृक्षारोपण रिपोर्ट कार्य विकसित कराया जाय तथा इस ग्रेडिंग कार्ड के आधार पर रोपित वृक्षारोपणों की गुणवत्ता का आंकलन व तदनुसार सुधार कार्य सुनिश्चित किये जाय।

(क) वृक्षारोपण कार्यों के स्थलीय सत्यापन हेतु आवश्यक व्यवस्था निम्न प्रकार होगी:—

(1) <u>वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा संचालित वृक्षारोपण अनुश्रवण पद्धति</u> **(Plantation Monitoring System- PMS)**

वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा विकसित कराये गये उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से सभी विभागों द्वारा वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति प्रतिदिन उपलब्ध करायी जायेगी जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन वन एवं वन्य जीव विभाग के कमाण्ड सेन्टर से किया जायेगा।

(2) वन एवं वन्य जीव विभाग के विभागीय वृक्षारोपणों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा अन्तर्विभागीय जांच दलों से कराया जाय तथा विभागीय अनुश्रवण शाखा से भी प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के रोपण की सफलता का आंकलन रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर कराया जाय।

(3) अन्य विभागों के विभागीय वृक्षारोपण के कार्यो का स्थलीय सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्तर्विभागीय जांच समितियों गठित कर अथवा भिन्न संस्थाओं द्वारा कराया जाय।

(4) सम्बन्धित विभाग जिन्हें वृक्षारोपण लक्ष्य आवंटित किये गये है, के द्वारा स्थलवार रोपित पौधों का विकास खण्ड वार विवरण जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में रखा जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि सत्यापन हेतु जांच टीम को संसमय उक्त विवरण उपलब्ध हो सके।

(ख) पौध उगान कार्यों का अनुश्रवण:–

(1) वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पौधों की तैयारी का अनुश्रवण माह नवम्बर के द्वितीय पक्ष से रोपण तक लगातार पाक्षिक रूप से जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षक द्वारा किया जाय तथा प्रगति रिपोर्ट कमान्ड सेन्टर को अनिवार्यतः ससमय उपलब्ध करायी जाये। समस्त पौधशालाओं (विभगीय तथा निजी) की ग्रेडिंग हेतु नर्सरी ग्रेडिंग कार्ड विकसित कराकर पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाय तथा उसे NMS पर अंकित किया जाय।

(2) ग्राम्य विकास विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा उगाई जाने वाली पौधों का स्थलीय सत्यापन जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(3) वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा विकसित Nursery Management System (NMS) तथा Plantation Management System (PMS) का उपयोग अन्य विभागों द्वारा किये जाने की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें प्रत्येक विभाग को पासवर्ड अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसके उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर उन्हें प्रशिक्षण वन विभाग द्वारा दिया जायेगा। प्रदेश की निजी पौधशालाओं का पंजीकरण कर उनके पास उपलब्ध रोपण योग्य पौधों को वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तथा ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा उगाये गये पौधों का विस्तृत विवरण सम्बन्धित विभागों द्वारा वन एवं वन्य जीव विभाग के NMS (Nursery Management System) साफ्टवेयर पर अपलोड किया जायेगा। निजी पौधशालाओं को इस वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

(ग) पौध वितरण/आपूर्ति व्यवस्था:– पौधशालाओं से विभिन्न विभागों को पौध वितरण में पारदर्शिता हेतु 'डायरेक्ट सैपलिंग ट्रांसफर' आनलाईन साफ्टवेयर का उपयोग किया जाय। पौधशाला से गन्तव्य स्थल तक पौधों के अभिवहन की पुष्टि हेतु वाहनों की जियो ट्रैकिंग की जाए।

(घ)– पौध रोपण:– पौध आपूर्ति के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पौध रोपण की पुष्टि अवश्य कराई जाय।

20– स्वतन्त्र मूल्यांकन: वृक्षारोपण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा कराये गये कार्यों का अनुश्रवण किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता व सफलता के मानक का प्रथम स्तर होता है। इस वृक्षारोपण का भी तीसरी व स्वतन्त्र एजेन्सी से अनुश्रवण व मूल्यांकन आवश्यक है।

वर्तमान में भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून सेटलाइट इमेज के माध्यम से वृक्षारोपण व वनावरण के परिवर्तन का द्विवार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1987 से निरन्तर प्रकाशित कर रहा है। साथ ही देश में कैम्पा के अंतर्गत कराएं गए वृक्षारोपण का ग्रीन ई–वॉच (Green E-Watch) के माध्यम से अनुश्रवण व मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। अतः इस कार्यक्रम के स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून/विभागीय संस्थाओं के माध्यम से अनुश्रवण व मूल्यांकन कराया जाय।

21– पंजीकृत किसानों के द्वारा अनिवार्यतः 10 पौधे लगाये जायः प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत लगभग 02 करोड़ किसान कृषि कार्यों में सरकार से अनुदान व सहयोग प्राप्त करते हैं। वृक्षारोपण अभियान में कृषकों को प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाय। इन पंजीकृत किसानों द्वारा 10 पौधों का रोपण अनिवार्यतः किया जाय, ताकि इन पौधों के रोपण के साथ–साथ उनके अनुरक्षण की भी व्यवस्था कृषकों के द्वारा आसानी से की जा सकेगी।

विभिन्न प्रचलित केन्द्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल करते हुए रोपण को प्रोत्साहित किया जाय।

22– औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सामाजिक उत्तरदायित्व (सी०एस०आर०):

विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम को सरस, सहभागी एवं जन उपयोगी बनाया जायेगा। उत्तर प्रदेश के निवासी जो प्रदेश से बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी आमंत्रण देकर वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा उनसे प्राप्त वित्तीय सहयोग का उपयोग वृक्षारोपण के विभिन्न क्रिया–कलापों में यथा जनसम्पर्क, जागरूकता, ब्रांडिंग, सुरक्षा आदि किया जाय।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले औद्योगिक संस्थानों को सी०ई०आर० (Corporate Environmental Responsibility) के अन्तर्गत पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के पुर्नस्थापन में वित्त पोषण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

23– कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का आकलनः रोपित किये जाने वाले पौधों द्वारा भविष्य में वातावरण में विद्यमान कार्बन डाईऑक्साइड को कार्बन के अन्य स्वरूपों में दीर्घ काल हेतु संचयित किया जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। रोपित किये जाने वाले पौधों द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का आकलन भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था के माध्यम से ही कराया जाय।

24– <u>कृषि वानिकी के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को वृक्षारोपण अभियान के रोपण में सम्मलित किया जाना:</u> प्रदेश में कृषि वानिकी के अन्तर्गत विभिन्न प्रजातियों का वृक्षारोपण प्रचलित है, जिससे प्रकाष्ठ आधारित उद्योग यथा प्लाईवुड (PLYWOOD), विनियर (VENEER) हेतु उत्पाद उपलब्ध होता है। इन उद्योगों के उत्पाद हेतु आसपास में स्थापित बाजार हैं। इस हेतु कृषक अपने स्वयं की निजी खेत, मेड़ आदि पर कृषि वानिकी के अन्तर्गत वृहद स्तर पर पौध रोपण करते हैं। इससे कृषकों के आय की वृद्धि होगी।

25– <u>चारा प्रजातियों का रोपण:</u> आर्थिक रुप से उपयोगी प्रजातियों तथा विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिकि जोन में उगने वाले चारा प्रजातियों के रोपण को बढावा देने हेतु ज्ञान–साथी (Knowledge Partner) के रुप में प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे–केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (CIMAP), राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI), भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (ICAR- Indian Grassland and Fodder Research Institute), उद्यान (Horticulture) आदि को चिन्हित किया गया है। वृक्षारोपण अभियान में कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास है।

वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत पशुओं हेतु चारा के लिये शहतूत, सहजन, देशी बबूल, सीरस, जंगल जलेबी, अगस्त, कचनार, बेर, शीशम व खेजड़ी आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण चारागाह व गौवंश आश्रय स्थलों में भी किया जाय।

मरूस्थलीकरण से होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु विभिन्न तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर रणनीति तैयार किया जाय।

26– <u>सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन :</u> ऐसे अवनत वन, जो जैविक एवं अन्य दबाव के कारण प्राकृतिक रूप से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, उनके स्थापना में सुरक्षा तथा सांकेतिक रुप में प्रबन्ध कार्य योजना के अनुसार चिन्हित क्षेत्रों में उपलब्ध प्रजातियों का रोपण तथा प्राकृतिक शस्य के संवर्द्धन हेतु कार्य किया जाना आवश्यक है। उक्त हेतु साल वनों तथा साल वनों के अतिरिक्त अन्य वन क्षेत्रों में किया जाने वाला सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन (ए0एन0आर0) वृक्षारोपण लक्ष्य में शामिल किया जाये तथा इसमें अधिकतम 200 पौध प्रति हेक्टेयर के अनुसार आगणन किया जायेगा। इसकी संख्या की गिनती तभी की जायेगी जब इसे विशिष्ट परियोजना के रूप में लागू किया जा रहा हो।

27– <u>अत्याधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग:</u> वृक्षारोपण के प्रभावी अनुश्रवण, सूचना का आदान–प्रदान, सूचना का संकलन, पौध रोपण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो क्रान्फ्रेंसिंग, ड्रोन, मोबाइल एप्प, पी0एम0एस0, एन0एम0एस0 व अन्य उपयोगी साफ्टवेयर, सोशल मीडिया आदि का नियमानुसार क्रय एवं उपयोग इस कार्य में किया

जायेगा, जिससे कार्यो के सम्पादन में अत्याधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग सफलतापूर्वक किया जायेगा।

28– **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** वृक्षारोपण अभियान के सफल कियान्वयन हेतु ग्रीन स्किल डेवलेपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वन विभाग की पौधशालाएं सेंटर आफ एक्सिलेंस (Centre of Excellence) होंगी, जहॉं वृक्षारोपण एवं पौध उगान कार्यो का तकनीकी प्रशिक्षण ग्राम प्रधान, वृक्ष अभिभावक विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय कार्मिकों स्वयं सहायता समूहों तथा कृषकों को दिया जाय।

29– **ईको क्लब :** समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ईको–क्लब स्थापित है, जिन्हें धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। ईको क्लब का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को निर्धारित पाठ्यकम/गतिविधियों से इतर पर्यावरणीय अवधारणाओं एवं कार्य–कलापों की सम्भावनाऐं तलाशना है। विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हेतु वृक्षारोपण अवधि में ईको–क्लब द्वारा निकटस्थ वेटलैण्ड, ईको टूरिज्म स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से कराते हुए वृक्षारोपण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाय, जिससे उन्हें पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ पौधरोपण का भी प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त हो सके।

30– **मीडिया प्लान:** पौधरोपण हेतु सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुये वृक्षारोपण को जन आन्दोलन चलाकर अभियान के रूप में वृक्षारोपण किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का वृहद प्रचार–प्रसार किया जाय। वृक्षारोपण के इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिये सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाय। जनजागरूकता हेतु दक्ष सोशल मीडिया/संस्था का उपयोग करते हुये वृक्षारोपण कार्यक्रम की ब्रान्डिंग की जाय।

31– **उत्कृष्ट कार्यो हेतु पुरस्कार**–वृक्षारोपण अभियान में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु विभिन्न दावेदारों द्वारा आवेदन अपलोड करने हेतु सूचना विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों पर प्रदेश में उत्कृष्ट जनपद, मण्डल, जन सामान्य व जनप्रतिनिधि कुल चार वर्ग में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा चयन किया जायेगा।

32– वन क्षेत्र के बाहर रोपित पौधों के बाजार में अधिक मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रकाष्ठ के आयात–निर्यात के अंतर को कम करते हुए सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को लागू किया जाय।

33– वृक्षारोपण कार्यक्रम का नोडल विभाग वन एवं वन्यजीव विभाग होगा, जो इस कार्य के लिये अपने स्तर से आवश्कतानुसार वृक्षारोपण के उक्त कार्यो हेतु मार्ग निर्देशन एवं अनुश्रवण हेतु जनपदों के नोडल अधिकारियों की तैनाती करेगा, जिसके आदेश उनके द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेगें।

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दिशा-निर्देशों का कृपया कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–881(1)/81–5–2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन

2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/राजस्व/आवास/औद्योगिक विकास/नगर विकास/लोकनिर्माण/जलशक्ति/रेशमविभाग/कृषि/पशुपालन/सहकारिता/उद्योग/ऊर्जा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/श्रम/स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/परिवहन/रेलवे/रक्षा/उद्यान को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का कष्ट करें।

3– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– क्षेत्रीय महाप्रबन्धक रेलवे–उत्तर पूर्वी, उत्तर, उत्तर मध्य जोन।

5– मण्डलीय प्रबन्धक रेलवे–लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, इज्जतनगर (बरेली), वाराणसी, डी0एल0डब्लू (वाराणसी), प्रयागराज, आगरा एवं झांसी मण्डल।

6– जी0ओ0सी0 सेन्ट्रल कमाण्ड, लखनऊ।

7– प्रभारी अधिकारी, भारतीय वायुसेना स्टेशन–बक्शी का तालाब (लखनऊ), चकेरी (कानपुर), बरेली, गोरखपुर, आगरा, हिण्डन (गाजियाबाद), सरसावा (सहारनपुर), बमरौली (प्रयागराज)।

8– समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष।

9– समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0।

10– समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0।

11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

f:\ro b\c 2019\ro files 2019\plantation 2019-20\plantation 2020-21.docx